डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली सत्र 2016-2017

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल-एल.बी. प्रथम वर्ष एवं एल-एल.एम. प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रम/ विषयों में दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्रावधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा माननीय कुलपति महोदय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका (प्रोस्पेक्ट्स) तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्रभी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2016-2017 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ों वर्गों तथा 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) यथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अन्तर्गत ही) आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी एक सन्तान छात्रा है तो प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का मूल्य रु० 200/- नकद तथा पंजीकृत डाक द्वारा रु० 230/- लिया जायेगा।

(द) प्रत्येक महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की वैबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक छात्रों को विवरण-पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण-पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वैबसाइट तथा महाविद्यालय की वैबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

2. (अ) सत्र 2016-2017 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में 'त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में 'चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम' में ही प्रवेश दिये जायेंगे। यदि छात्र अन्य किसी वर्ष उक्त पाठ्यक्रमों के किसी विषय में प्रवेश लेना चाहें तो पत्राचार पाठ्यक्रम में, केवल उन विषयों में जिनके पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध हों, प्रवेश ले सकते हैं।

(ब) महाविद्यालयों में एल-एल.बी. 'प्रथम वर्ष' तथा एल-एल.बी. 'प्रथम वर्ष' में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। एल-एल.बी. 'प्रथम वर्ष' के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अर्हता होंगे, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। पंच वर्षीय एल-एल.बी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता 10+2 होगी, जिसमें 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी। निर्धारित मानकों के आधार पर सभी श्रेणियों के लिये पृथक-पृथक योग्यता सूचियाँ बनाई जायेंगी। प्रतीक्षा सूची योग्यतानुसार पृथक से तैयार की जायेगी जिनमें से छात्रों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिये जायेंगे, किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/15-94-15/66/89 दिनांक 30.07.1994 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन भी अब सुनिश्चित करना होगा।

(स) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन पत्रों क पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2016 होगी। किस भी परिस्थिति में प्रवेश 31 अगस्त 2016 के पश्चात् नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित (रोका गया) हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेंगे। यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हो।

महाविद्यालय खुलने की तिथि 25 जुलाई, 2016

3. (अ) प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित कॉलेज 'नोटिस बोर्ड' पर लगायी जायेगी। छात्र- तद्नुसार प्रवेश लें।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।

(स) कला एवं वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की या स्नातक प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो, द्वितीय वर्ष (उत्तरार्द्ध)/ तृतीय वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश के लिए अर्ह होगे। प्रवेश के इच्छुक ऐसे विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

(ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुन: संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं और उसकी आर्हता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेु विचार कर सकता है। अन्तराल आर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा।

टिप्पणी—दो वर्ष के अन्तराल (Gap) के छात्रों का ऑन लाईन डाटा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुए प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाइन फार्म भरवाते वक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।

(द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल.एल.एम. कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

(य) कला तथा वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों, विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुन: प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

''यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो और पुन: उसी कक्षा/ विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा न हों।''

प्राचार्य के प्रवेश के मामले में डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा विवरण-पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्त्तव्य और अधिकार होंगे—

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any, laid down by the university and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण-उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने का इंकार किया जा सकता है।

(1) यदि अभ्यार्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

(2) यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिये विचाराधीन हो।

5. (अ) **स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:**

(i) बी.एस.सी. फिजीकल साइंस के लिये इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(ii) बी.एस.सी. लाइफ साइंस के लिये इण्टरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iii) बी.एस.सी.(कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।

(iv) बी.ए./बी.कॉम. के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एस०सी० (कृषि)/बी०एस०सी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी। उ०प्र० बोर्ड/ समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईंट/ मार्क्स दोनों (both) प्रवेश अर्हता के लिए मान्य होंगे।

(स) **स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :**

(i) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थाई रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवम् उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश, आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल तथा डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू०पी० के आगरा मण्डल तथा डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। किन्तु एम.एस.सी. कृषि के प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा यू०पी० आगरा मण्डल उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी.आई. 35/- सत्तर 1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) भाग-2 तथा 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग-1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट वीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृति हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षर युक्त अनुमति पत्र दिये पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(a) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(b) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य - चक्रमानुसार।

(c) एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसिन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट :-कोई भी राजकीय, अनुदानित महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयो को बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश 'प्रोवीजनल' भी नहीं देगा।

(vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/ स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(vii) समिति का यह निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरक्षः पालन सुनिश्चित किया जाये।

6. शैक्षणिक अंकों की गणना :

(क) स्नातक कक्षायें :

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंक/ ग्रेड दोनों
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत। ग्रेड अथवा दोनों

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट : 1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिये जायेंगे।

2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम.ए. के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विश्वविद्यालय की बी.ए. की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण कर ली हो। (ख) सम्पूर्णनन्द संस्कृत

विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.ए. पूर्वार्द्ध परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं। (ग) एम.कॉम. पूर्वार्द्ध परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी०कॉम० त्रिवर्षीय परीक्षा है। (घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (ऑनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्हीं विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की हो।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमान्य हो, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :

1. (अ) उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय/ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए। — 5 अंक
   (ब) द्वितीय विजेता के लिए — 4 अंक
   (स) तृतीय विजेता के लिए — 3 अंक
   (द) प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक
2. एन.सी.सी. "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

   अथवा

   एन.सी.सी. "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को — 6 अंक

   अथवा

   एन.सी.सी. कैडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। — 3 अंक
3. स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र/ पुत्री अथवा पौत्र/ पौत्री (अविवाहित) — 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण पत्र धारक — 5 अंक
5. बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

(1) विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय/अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने पर — 5 अंक
(2) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने पर — 4 अंक
(3) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने पर — 3 अंक
(4) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक

(2) एन.सी.सी. "सी" सर्टीफिकेट/ जी-2 उत्तीर्ण कैडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. "बी" सर्टीफिकेट/ जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटो को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. कैडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

(3) एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

(4) महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर भाग लिया हो। 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर विश्वविद्यालय रैली में प्रथम विजेता होने पर 5 अंक

द्वितीय विजेता होने पर 4 अंक

तृतीय विजेता होने पर 3 अंक

प्रतिभाग करने पर 2 अंक

नोट- उपर्युक्त 1 से 4 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय के खेलकूद अधिकारी या स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित/ एन.सी.सी. अधिकारी/ एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/ रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें :

(1) डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/ अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/ पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री 17 अंक

(2) भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी/पुत्र-पुत्री (अविवाहित) 10 अंक

(3) कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी : (1) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन -पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमान्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा तथा यदि यह घोषणा गलत पाई गई हो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

(2) प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:- किसी व्यक्ति की सेवानिवृति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाय, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

4. **(घ) एल.एल.बी. (प्रथम वर्ष) :**

एल.एल.बी. की प्रथम वर्ष में प्रवेश वर्ष में प्रवेश केवल योग्यताक्रम के आधार पर ही दिये जायेंगे। योग्यता सूची शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(i) **शैक्षणिक अंकों की गणना (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु):**

1. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 100 प्रतिशत।

(ii) शैक्षणिक अंकों की गणना (10+2) के बाद (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु) :

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत।
2. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100।

नोट- त्रिवर्षीय डिग्री के प्राप्तांक अथवा द्विवर्षीय के प्राप्तांक के साथ ब्रिज कोर्स के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रतिशत निकाला जायेगा, जिन अभ्यर्थियों ने सन् 1985 से पूर्व प्रथम स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली है, उनकी यह उपाधि इस तथ्य के बावजूद कि उनकी स्नातक डिग्री की अवधि जो कुछ रही हो, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के समकक्ष मानी जायेगी।

(ड) एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष)

एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही दिये जायेंगे। योग्यता सूची शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(झ) शैक्षणिक अंकों की गणना

एल.एल.एम./एल.एल.एम. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय

प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने पर	5 अंक
द्वितीय विजेता होने पर	4 अंक
तृतीय विजेता होने पर	3 अंक
प्रतिभागी करने पर	2 अंक

2. एन.सी.सी. "सी" सर्टीफिकेट/ जी-2 उत्तीर्ण 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

3. एन.एस.एस. में 240 घण्टे कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। 5 अंक

4. अम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एवं अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/स्वयं जो उन पर आश्रित हो। 17 अंक

5. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों एवं कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्रियों/विधवाओं या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (अविवाहित) 10 अंक

नोट : 1. किस व्यक्ति की सेवा निवृत्ति सेपूर्व होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त "1" से "3" तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र स्पोर्ट्स कौन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. अधिकारी द्वारा निर्गत हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

7. (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे, जे सेवारत हों और जिनकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण-पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(स) सामान्यत: स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष्ज्ञ परिस्थितियों में 20 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की माँग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी। सैक्शन का आधार विषयों के अनुसार होगा अर्थात एक विषय में 60 छात्रों का अनुपात रहेगा।

(द) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिये अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्न-पत्र को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है। अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

8. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना-पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसरित नहीं करेंगे।

(स) एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय (एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थित कॉलेज) में छात्रों का स्थानान्तरण सम्बन्धित प्राचार्यों की सहमति से सरकारी/अर्द्ध सरकारी शिक्षक एवम् कर्मचारी वार्डों को सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण–

1. सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवक के ट्रान्सफर होने पर,
2. पुत्र/पुत्री की शादी अथवा
3. सेवानिवृति पर/ माता-पिता/ अभिभावक की मृत्यु होने पर अनुमन्य हो सकता है एवम् शेष सभी छात्रों को महाविद्यालयों स्तर पर प्रथम वर्ष की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है, परन्तु उसके लिए विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। उपर्युक्त में दोनों कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा एन०ओ०सी० जारी कर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(द) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(य) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचनापट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन 'अप-टू-डेट' जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली-भाँति पढ़ ले। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा ही होगा।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/ प्रपत्र निरस्त समझे जायें।

कुलसचिव
डॉ०बी.आर. अम्बेडकर
वि.वि., आगरा